बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या– जी0/यो0–31–168/2024/7982/जे0, पटना, दिनांक 25.9.26

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– व्यवहार न्यायालय, मधुबनी (24 कोर्ट) में ई कोर्ट परियोजना फेज–03 के तहत सभी कोर्ट रूमों में कम्प्यूटर, यू0पी0एस0 अधिष्ठापन एवं वी0सी0 सेटअप हेतु विद्युत प्वांइट वायरिंग कार्य के निमित रू0 14,55,224/– एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर (13 कोर्ट) में ई कोर्ट परियोजना फेज–03 के तहत सभी कोर्ट रूमों में कम्प्यूटर, यू0पी0एस0 अधिष्ठापन एवं वी0सी0 सेटअप हेतु विद्युत प्वांइट वायरिंग कार्य के निमित रू0 8,52,071/– अर्थात् कुल रू0 23,07,295/– (तेइस लाख सात हजार दो सौ पंचानवें रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से व्यवहार न्यायालय, मधुबनी (24 कोर्ट) में ई कोर्ट परियोजना फेज–03 के तहत सभी कोर्ट रूमों में कम्प्यूटर, यू0पी0एस0 अधिष्ठापन एवं वी0सी0 सेटअप हेतु विद्युत प्वांइट वायरिंग कार्य के निमित रू0 14,55,224/– एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, झंझारपुर (13 कोर्ट) में ई कोर्ट परियोजना फेज–03 के तहत सभी कोर्ट रूमों में कम्प्यूटर, यू0पी0एस0 अधिष्ठापन एवं वी0सी0 सेटअप हेतु विद्युत प्वांइट वायरिंग कार्य के निमित रू0 8,52,071/– अर्थात् कुल रू0 23,07,295/– (तेइस लाख सात हजार दो सौ पंचानवें रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त है, जिसमें **योजनावार विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन अंचल, उत्तर बिहार, पटना** द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. यह राज्य स्कीम है ।
4. इस राशि का विकलन मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0105–न्यायिक भवन हेतु (विधि विभाग के लिए) के लिए स्वीकृत उपबंध की राशि से होगा। इसका विपत्र कोड सं0–विपत्र कोड–03–4059800510105 है।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा इसकी निकासी **जिला कोषागार, दरभंगा** से की जायेगी।
6. इस कार्य पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगी।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
(पृ0–36/टि0, दिनांक–17.09.2026, सं0सं0– जी0/यो0–31–168/2024)
8. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
(पृ0–38/टि0, दिनांक–23.09.2026, सं0सं0– जी0/यो0–31–168/2024)
9. स्वीकृत्यादेश में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
25-09-26
(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

कृ0पृ0उ0

ज्ञाप संख्या— जी0/यो0—31—168/2024/7982/जे0, पटना, दिनांक 25.9.26

प्रतिलिपिः—कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या— जी0/यो0—31—168/2024/7982/जे0, पटना, दिनांक 25.9.26

प्रतिलिपिः—महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

निबंधित ज्ञाप संख्या— जी0/यो0—31—168/2024/7982/जे0, पटना, दिनांक 25.9.26

प्रतिलिपिः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी को प्राक्कलन की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0—यथोक्त।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या— जी0/यो0—31—168/2024/7982/जे0, पटना, दिनांक 25.9.26

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत भवन अंचल, उत्तर बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या— जी0/यो0—31—168/2024/7982/जे0, पटना, दिनांक 25.9.26

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु हेतु प्रेषित।

25-09-26
(बलराम दूबे)
सरकार के सचिव, बिहार।
25/09/26